

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता सं. 52 & 16 के अधीन प्लॉट सं. 442 & 595 (2.00 एकड़) के तहत ग्राम: कारो थाना: पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी श्री जितेंद्र कुमार सुपुत्र श्री धनेश्वर महतो से संबन्धित एक प्रस्ताव प्राप्ति किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कारो थाना: पिपरवार जिला: चतरा (झारखण्ड) के निवासी श्री जितेंद्र कुमार सुपुत्र श्री धनेश्वर महतो के रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

1
24.02.17